

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 22/7/26

विषय- विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 9,04,91,581/- (नौ करोड़ चार लाख इक्यानवे हजार पाँच सौ इक्यासी रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत

कार्यपालक अभियंता के द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अध्याचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹ 9,04,91,581/- (नौ करोड़ चार लाख इक्यानवे हजार पाँच सौ इक्यासी रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	नालंदा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ	Comprehensive Housekeeping, Maintenance and Operation Contract work (for 5 year) of Rajgir international Convention Centre (RCC), Nalanda	366 / 23.02.26 43 / 23.06.26	₹ 4,14,07,431/- (चार करोड़ चौदह लाख सात हजार चार सौ इकतीस रुपये)
2.	केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या-01, पटना	Housekeeping Services for Vishweshwaraiya Bhawan, Science and Technology Building, PHD Building & Tower Block Patna for the Year 2025-26	301 / 28.02.25	₹ 2,70,58,858/- (दो करोड़ सत्तर लाख अठावन हजार आठ सौ अठावन रुपये)
3.	केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या-01, पटना	Housekeeping Service for Main Secretariat and Campus of Old Secretariat, Patna	301 / 28.02.25	₹ 2,20,25,292/- (दो करोड़ बीस लाख पच्चीस हजार दो सौ बानवे रुपये)
योग:-				₹ 9,04,91,581/-

(नौ करोड़ चार लाख इक्यानवे हजार पाँच सौ इक्यासी रुपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य-लघु शीर्ष-053-रखरखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष-0001-अनुरक्षण और मरम्मत-मतदेय विपत्र कोड-03-2059800530001 के विषयशीर्ष-27-लघु कार्य-0001.27.02-अनुरक्षण एवं मरम्मतअन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जाएगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से किया जा रहा है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।